संख्या: 18/2025/520-ई-2/तेरह-2025-1664412

प्रेषक,

दुर्गा सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 अप्रैल, 2025

विषय:-मेसर्स मालब्रोस इंटरनेशनल प्रा.लि., ग्राम-भटियुरा पृथीपुर, तहसील तिलहर, शाहजहांपुर आसवनी इकाई की निर्धारित अधिष्ठापित क्षमता 160 के.एल.पी.डी. प्रतिदिन अर्थात 350 कार्य दिवस के आधार 560 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 200 के.एल.पी.डी. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार 700 लाख लीटर वार्षिक, जिसके अन्तर्गत पेय क्षमता 70 लाख लीटर तथा औद्योगिक क्षमता 630 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने के संबंध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-99/दो-प्रा.डी.-213/मालब्रोस आसवनी, दिनांक 09-12-2024, पत्र संख्या:-जी-125/दो-प्रा.डी.-213/मालब्रोस आसवनी, दिनांक 27-02-2025 एवं पत्र संख्या:-जी-132/दो-प्रा.डी.-213/मालब्रोस आसवनी शाहजहांपुर, दिनांक 28-03-2025 तथा इस संबंध में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 06-03-2025 में लिए गए निर्णय संबंधी कार्यवृत्त संख्या:480ई-2/तेरह-2025-1664412, दिनांक 17-04-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भगत पत्रों में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा 17 एवं 18 तथा ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के क्रम में मेसर्स मालब्रोस इंटरनेशनल प्रा.लि., ग्राम-भटियुरा पृथीपुर, तहसील तिलहर, शाहजहांपुर आसवनी इकाई की निर्धारित अधिष्ठापित क्षमता 160 के.एल.पी.डी. प्रतिदिन अर्थात 350 कार्य दिवस के आधार पर 560 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 200 के.एल.पी.डी. प्रतिदिन अर्थात 350 कार्य दिवस के आधार पर 700 लाख लीटर वार्षिक, जिसके अन्तर्गत पेय क्षमता 70 लाख लीटर (10 प्रतिशत) तथा औद्योगिक क्षमता 630 लाख लीटर (90 प्रतिशत) वार्षिक निर्धारित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) शासनादेश दिनांक 21-10-2022 में लगाये गये प्रतिबन्ध पूर्ववत रहेंगे।

(2) आसवक से बढ़ी हुयी क्षमता पर अनुज्ञापन शुल्क का अंतर आसवनी संचालन के प्रारम्भ से वसूल किया जायेगा।

(3) आसवक द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से निर्गत सुसंगत अधिनियमों/नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) ग्रेन आसवनियों में प्रयुक्त किये जा रहे अनाज के आटे के नमूने नियमित अन्तराल पर परीक्षणार्थ विभाग की प्रयोगशाला भेजे जायेंगे तथा समयान्तर्गत परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी एवं तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) इकाई द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) एवं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

(7) प्रदेश स्थित आसवनियों में आवश्यक अभिलेखों का अनुरक्षण किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-1069ई-2/तेरह-2024-1404728, दिनांक 09-12-2024 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन आबकारी आयुक्त द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(8) ऊपरलिखित निर्देशों के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि आसवनी की क्षमता वृद्धि आबकारी आयुक्त कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.01.2025 द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के अनुसार प्रायोगिक रूप से सम्भव हो तथा आसवनी में स्थापित फरमेन्टरों की 77.00 प्रतिशत वर्किंग क्षमता के आधार पर 24 घण्टे में 1601600 लीटर वाश निकलना भी सम्भव हो।

(9) ओ.ई.एम. एवं आसवनी अध्यासी द्वारा किये गये क्लेम का सत्यापन प्रायोगिक रूप से निरंतर आसवनी को एक माह तक संचालित कराकर किया जाना होगा। अधिक उत्पादन हेतु सम्बन्धित आसवनी द्वारा क्षमता वृद्धि के क्लेम के विरूद्ध बाहर से ई.एन.ए. खरीद करते हुए यदि पेय मदिरा/औद्योगिक एल्कोहल का उत्पादन तथा ओ.ई.एम. के क्लेम के विरूद्ध की स्थितियॉ पाये जाने पर सम्बन्धित आसवनी के विरूद्ध नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आबकारी आयुक्त का होगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या:-18/2025/520(1)ई-2/तेरह-2025-1664412 एवं तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in